CRIMINAL PROCEDURE CODE 1973

Level — Hard

1.

Ans: a

Explanation: L/w Section 173 CrPC to arrive into particular conclusion/option by way of police report (i.e. either closure or chargesheet) is a matter of executive domain. The Magistrate cannot order to form a particular opinion.

1.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: पुलिस रिपोर्ट (यानी क्लोजर या चार्जशीट) के माध्यम से विशेष निष्कर्ष/विकल्प पर पहुंचना कार्यकारी डोमेन का मामला है। मजिस्ट्रेट एक विशेष राय बनाने का आदेश नहीं दे सकता है।

2.

Ans: c

Explanation: L/w Section 330(1) The magistrate or court shall not hold the trial and order the accused to be dealt with in accordance with section 330.

2.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 330(1) मजिस्ट्रेट या अदालत मुकदमा नहीं चलाएगी और आरोपी को धारा 330 के अनुसार निपटाए जाने का आदेश देगी।

3.

Ans: c

Explanation: L/w Chapter 9 Maintenance Section 125 CrPC

3.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: L/w अध्याय 9 धारा 125 सीआरपीसी

4.

Ans: d

Explanation: L/w Section 162 CrPC .

4.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 162 सीआरपीसी

5.

Ans: a

Explanation: L/w Section 167(6) CrPC Where any order stopping further investigation into an offence has been made under sub-section (5), the Sessions Judge may, if he is satisfied, on an application made to him or otherwise, that further investigation into the offence ought to be made, vacate the order made under sub-section (5) and direct further investigation to be made into the offence subject to such directions with regard to bail and other matters as he may specify.

5.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w धारा 167(6) सीआरपीसी जहां किसी अपराध में आगे की जांच को रोकने का कोई आदेश उप-धारा (5) के तहत किया गया है, सत्र न्यायाधीश, यदि वह संतुष्ट है, तो उसे किए गए आवेदन पर या अन्यथा, कि अपराध की आगे की जांच की जानी चाहिए, उप-धारा (5) के तहत किए गए आदेश को खाली कर दिया जाना चाहिए और जमानत और अन्य मामलों के संबंध में ऐसे निर्देशों के अधीन अपराध में आगे की जांच करने का निर्देश दिया जा सकता है जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकता है।

6.

Ans: d

Explanation: L/w Section 213 Illustration (a).

www.linkinglaws.com

6.
उत्तर: डी
स्पष्टीकरण: L/w धारा 213 दृष्टांत (ए) बेयर एक्ट से।

7.
Ans: c
Explanation: L/w Section 311 CrPC (court witness)

7.
उत्तर: (सी)
स्पष्टीकरण: L/w धारा 311 सीआरपीसी

8.
Ans: c
Explanation: L/w Proviso to section 162 CrPC.

8.
उत्तर: सी
स्पष्टीकरण: L/w सीआरपीसी की धारा 162 (परन्तु)

9.
Ans: c
Explanation: L/w Section 80 Evidence Act which provides a "Presumption as to documents produced as records of evidence".

9.
उत्तर: सी
स्पष्टीकरण: L/w धारा 80 साक्ष्य अधिनियम जो "सबूत के रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों के रूप में अनुमान" प्रदान करता है।

10.
Ans: a
Explanation: 160 CrPC L/w Section 174 IPC which provides "Non-attendance in obedience to an order from public servant."

10.
उत्तर: ए
स्पष्टीकरण: 160 सीआरपीसी L/w धारा 174 आईपीसी जो "लोक सेवक के आदेश के पालन में गैर-उपस्थिति" प्रदान करता है।

11.
Ans: c
Explanation: L/w Chapter 12 CrPC an order of investigation Under Section 156(3) includes registration of FIR, if no FIR has been registered.

11.
उत्तर: सी
स्पष्टीकरण: L/w अध्याय 12 सीआरपीसी धारा 156 (3) के तहत जांच के आदेश में प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है, यदि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

12.
Ans: d
Explanation: L/w Section 172 CrPC The station diary consists of a set of records maintained at police station that contains information of importance to the running of the police station. It also called as Daily diary or General dairy.

12.
उत्तर: डी
स्पष्टीकरण: L/w धारा 172 सीआरपीसी स्टेशन डेयरी में पुलिस स्टेशन में बनाए गए रिकॉर्ड का एक सेट होता है जिसमें पुलिस स्टेशन के संचालन के लिए महत्व की जानकारी होती है। इसे दैनिक डायरी या सामान्य डेयरी भी कहा जाता है।

13.
Ans: a
Explanation: In Youth Bar Association of India v. Union of India, Supreme Court directed to upload online copy FIR within 24 hours of lodging.

13.

www.linkinglaws.com

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन एफआईआर कॉपी एफआईआर अपलोड करने का निर्देश दिया।

14.

Ans: b

Explanation: L/w Section 87 CrPC.

14.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 87 सीआरपीसी

15.

Ans: b

Explanation: L/w Section 311 CrPC Any Court may, at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this Code, summon any person as a witness, or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined; and the Court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case.

15.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 311 सीआरपीसी इस संहिता के तहत किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है, या उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकता है, हालांकि गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता है, या वापस बुला सकता है और पहले से ही जांच किए गए किसी भी व्यक्ति की फिर से जांच करें; और न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को समन करेगा और उसकी जांच करेगा या वापस बुलाएगा और फिर से जांच करेगा यदि उसका साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

16.

Ans: b

Explanation: L/w Section 181 & 183 CrPC as Section 183 is intended to be limited to the offences committed during journey only. It does not extend to the offences or receiving or retaining stolen property for the trial of which the provisions of section 181(3) apply.

16.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 181 और 183 सीआरपीसी धारा 183 के रूप में केवल यात्रा के दौरान किए गए अपराधों तक सीमित है। यह उन अपराधों या चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने या बनाए रखने के लिए विस्तारित नहीं है जिनके परीक्षण के लिए धारा 181 (3) के प्रावधान लागू होते हैं।

17.

Ans: a

Explanation: L/w Section 144(2) CrPC A magistrate could make an ex-parte order in case of public nuisance while he is making a conditional order.

17.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w धारा 144(2) सीआरपीसी एक मजिस्ट्रेट न्यूसेंस के मामले में एक पक्षीय आदेश दे सकता है, जबकि वह एक सशर्त आदेश दे रहा है।

18.

Ans: b

Explanation: L/w Chapter 15 CrPC covering Section 200-203 which deals with complaint to magistrates. Under Section 202(1) the Magistrate taking cognizance may order for investigation for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w अध्याय 15 सीआरपीसी धारा 200-203 को कवर करता है जो मजिस्ट्रेटों को शिकायत से संबंधित है। धारा 202(1) के तहत संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश दे सकता है यह तय करना कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं

19.

Ans: c

Explanation: L/w Section 249 CrPC, the Magistrate can discharge the accused only if the offence is lawfully compoundable and is not cognizable and the charge has not been framed. The Magistrate cannot acquit the accused. Therefore, acquittal of 'A' is illegal.

19.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 249 सीआरपीसी, मजिस्ट्रेट आरोपी को तभी मुक्त कर सकता है जब अपराध कानूनी रूप से समझौता योग्य है और संज्ञेय नहीं है और आरोप तय नहीं किया गया है। मजिस्ट्रेट आरोपी को बरी नहीं कर सकता। इसलिए, 'ए' को बरी करना अवैध है।

20.

Ans: d

Explanation: L/w Section 167 CrPC it is necessary that arrest should have been effected by either by a police officer or an officer empowered to arrest under any other law (special act).

20.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 167 सीआरपीसी यह आवश्यक है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य कानून (विशेष अधिनियम) के तहत गिरफ्तारी के लिए अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा किया गया।

21.

Ans: d

Explanation: L/w Section 209 & 323 CrPC which states-

- Section 209 – Commitment of case to Court of Session when offence is triable exclusively by it.
- Section 323 – Procedure when, after commencement of inquiry or trial, Magistrate finds case should be committed

21.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 209 और 323 सीआरपीसी जिसमें कहा गया है-

धारा 209 - सत्र न्यायालय को मामले की प्रतिबद्धता जब अपराध विशेष रूप से उसके द्वारा विचारणीय हो।

धारा 323 - प्रक्रिया जब, जांच या विचारण शुरू होने के बाद, मजिस्ट्रेट पाता है कि मामला प्रतिबद्ध होना चाहिए।

22.

Ans: a

Explanation: L/w Section 325 CrPC The Magistrate should record his opinion and submit the proceedings and forward the accused to the Chief Judicial Magistrate to whom he is subordinate Under Section 325 CrPC.

22.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: L/w धारा 325 सीआरपीसी अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को सुनने के बाद एक मजिस्ट्रेट और आरोपी की राय है कि आरोपी दोषी है और उसे और अधिक कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो उसे देने के लिए सशक्त है, मजिस्ट्रेट को उसका रिकॉर्ड करना चाहिए राय और कार्यवाही प्रस्तुत करें और आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करें, जिसके पास वह है सीआरपीसी की धारा 325 के तहत अधीनस्थ।

23.

Ans: b

www.linkinglaws.com

Explanation: Hukum Singh v. State of Punjab (AIR 1975 PH 148) The Supreme Court observed that provisions of Article 72 & 161 of constitution and L/w Section 401 of CrPC shall be given harmonious construction.

23.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: हुकुम सिंह बनाम पंजाब राज्य (AIR 1975 PH 148) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 और सीआरपीसी की धारा 401 एल/डब्ल्यू के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण निर्माण दिया जाएगा।

24. When and in what circumstances a Judicial Magistrate of First Class can add a person as accused in a criminal case-

(a) After taking cognizance of the case and before framing a charge
(b) During the course of an inquiry or trial when it appears from the evidence
(c) After framing of the charge and before the trial is commenced
(d) None of the above

Ans: b

Explanation: L/w Section 319 CrPC. The Supreme Court of India examined this issue in Hardeep Singh Vs. State of Punjab, [AIR 2014 SC 1400] that Section 319 springs out of the doctrine judex damnatur cum nocens absolvitur (Judge is condemned when a guilty man is acquitted) and this doctrine must be used while explaining the ambit and the spirit underlying the enactment of Section 319 of Cr. P.C. and it is the duty of the Court to do justice by punishing the real culprit.

24.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: L/w धारा 319 सीआरपीसी सर्वोच्च न्यायालय ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य [AIR 2014SC 1400] में इस मुद्दे की जांच की। वह धारा 319 सिद्धांत जूडेक्स दनातुर सह नोकेन्स एब्सोल्विटुर (दोषी बरी होने पर न्यायाधीश की निंदा की जाती है) से निकलती है और इस सिद्धांत को सीआरपीसी की धारा 319 के अधिनियमन के दायरे और भावना को समझाते हुए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और असली अपराधी को सजा देकर न्याय करना न्यायालय का कर्तव्य है।

25.

Ans: a

Explanation: Section 167(2) CrPC L/w Article 21 of Constitution as Right to default bail under Section 167(2) CrPC not merely a statutory right, but part of procedure established by law under Article 21.

25.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: धारा 167 (2) सीआरपीसी L/w संविधान की धारा 21 के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार के रूप में धारा 167 (2) के तहत, सीआरपीसी न केवल एक वैधानिक अधिकार है, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा है।

www.linkinglaws.com